I/92541/2023

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज विभाग,
डांडा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः: दिनांकः 19 जनवरी, 2023

विषयः– 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में त्रिस्तरीय पंचायतों को आबद्ध अनुदान **(Tied Grant)** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश सं–F.15(4)FC-XV/FCD/2020-25, दिनांकः 13.01.2023 के कम में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समस्त त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022–23 में आबद्ध अनुदान **(Tied Grant)** की प्रथम किश्त **₹131,77,00,000.00 (₹एक सौ इकत्तीस करोड़ सतहत्तर लाख मात्र)** की धनराशि संलग्न विवरणानुसार आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2022–23 में आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की प्रथम किश्त हेतु प्राप्त **₹131,77,00** हजार की धनराशि त्रिस्तरीय पंचायतों को निम्नवत आवंटित की जा रही हैः–

क्र. सं.	पंचायतीराज संस्था का नाम	आबद्ध अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 की प्रथम किश्त का विवरण (₹हजार में)
1–	जिला पंचायतें	198000
2–	क्षेत्र पंचायत	132000
3–	ग्राम पंचायतें	987700
योग		**1317700**

3– उपर्युक्त धनराशि त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की जा रही हैः–

1– वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–132/xxvii(6)/430/ एक/2008/ 2019 दिनांकः 29 मार्च, 2019 द्वारा समस्त शासकीय विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) लागू है। उक्त शासनादेश में वार्णित व्यवस्था के अनुसार (1) जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में निदेशक, पंचायतीराज द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से बिल तैयार कर संलग्न विवरणानुसार सम्बन्धित पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। (2) ग्राम पंचायतों को अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में निदेशक पंचायतीराज द्वारा उक्त धनराशि संलग्न विवरणानुसार सम्बन्धित जिला पंचायतीराज अधिकारियों को आवंटित किया जायेगा तथा जिला पंचायतीराज अधिकारियों द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से ग्राम पंचायतों को धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। उपरोक्त की सूचना वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, पंचायतीराज व जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा धनराशि अपने स्तर पर नहीं रोकी जायेगी।

2– शासनादेश संख्याः–381/06/(वि.आ.निदे.)/xxvii(1)/2020, दिनांकः 26.05.2020 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं हेतु निर्धारित बैण्ड के अनुसार अनुदान की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

3– वित्त मंत्रालय के शासनादेश दिनांकः 13.01.2023 के अनुसार राज्य सरकार (राज्य वित्त विभाग) को ग्रान्ट इन एड की धनराशि सीधे त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को बिना किसी कटौती के 10 कार्य दिवसों के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर देनी चाहिए। दस कार्य दिवसों के बाद किसी भी विलम्ब के लिये राज्य सरकार को पिछले वर्ष के बाजार ऋणों/राज्य विकास

I/92541/2023

ऋण पर औसत प्रभावी ब्याज दरों के अनुसार विलम्ब की अवधि के लिए ब्याज सहित अनुदान की धनराशि का भुगतान निकायों को किया जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, पंचायतीराज की होगी।

4– 15वें वित्त आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को संस्तुत अनुदान के उपयोग के संबंध में शासनादेश सं0–15(2)FC-XV/FCD/ 2020-25, दिनांकः 14.07.2021 द्वारा परिचालन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, तद्क्रम में जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा भी दिशा–निर्देशों जारी किये गये हैं, जिनकी प्रति पूर्व में ही प्रेषित की गई है। उक्त दिशा निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को निर्दिष्ट अनुदान हेतु अवमुक्त धनराशि के संबंध में निर्धारित एनेक्सर–III पर वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– उक्त दिशा–निर्देशानुसार प्राथमिक/अर्निदिष्ट अनुदान (Untied Grant) तथा निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज विभाग द्वारा समयबद्ध रूप से यथा–आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

6– अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली–2017 में निहित प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अर्न्तगत किया जायेगा।

7– जिला पंचायतों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के मामले में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र अध्यक्ष, जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायतों के मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रमुख, क्षेत्र पंचायत से प्रतिहस्ताक्षर कराकर निदेशक, पंचायतीराज को उपलब्ध कराये जायेंगे। ग्राम पंचायतों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा निदेशक, पंचायतीराज को उपलब्ध कराये जायेंगे। निदेशक, पंचायतीराज द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का अपने स्तर पर संकलन एवं परीक्षण करने के उपरान्त उनको प्रतिहस्ताक्षर कर सभी स्तर के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्यो का क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायतवार भौतिक प्रगति तथा व्यय की गई धनराशि) भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

8– उपरोक्तानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करने का उत्तरदायित्व संबंधित अपर मुख्य अधिकारी व जिला पंचायतीराज अधिकारी का होगा। संक्रमित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांकः 31 मार्च, 2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विलम्ब के कारण धनराशि लैप्स होती है, तो उसके लिये निदेशक पंचायतीराज एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतीराज अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। अवमुक्त धनराशि के समुचित उपयोग के लिए निदेशालय स्तर पर निदेशक, पंचायतीराज तथा जिला स्तर पर विभागीय अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतीराज अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

9– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

10– कतिपय ग्राम पंचायतें असंगठित होने के कारण भारत सरकार द्वारा इन ग्राम पंचायतों के लिए धनराशि आवंटित नही की गई है। फलस्वरूप तद्नुसार ही धनराशि आवंटित की गई है।

11– निदेशक, पंचायतीराज से प्राप्त पत्र संख्याः–193/3–पं./ग्रा.पं./173/2020–21 दिनांकः 28 मई, 2020 के अनुसार उत्तराखण्ड में परिसीमन/ग्राम पंचायतों के शहरी स्थानीय निकायों में संविलियन तथा कतिपय शहरी स्थानीय निकायों में सम्मलित ग्राम पंचायतों का पुनः ग्राम पंचायतों के रूप में परिवर्तित होने के उपरान्त वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की स्थिति में अन्तर आया है। इस बदले हुए जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुसार ही धनराशि संक्रमित की जा रही है, जिसके कारण जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के अंश एवं संक्रमित की जा रही धनराशि में आंशिक वृद्धि अथवा कमी सम्भव है।

2
Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 19/01/2023 05:12 PM

12– जिला पंचायतवार, क्षेत्र पंचायतवार एवं गाम पंचायतवार फांट, अलोटमेन्ट आई.डी एवं अनुदान हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र का प्रारूप–III संलग्न है। ई–मेल से भी शासनादेश उपलब्ध कराया जा रहा है। निकायों को धनराशि हस्तान्तरित करते ही, प्रारूप–III पर सूचना, प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज के हस्ताक्षर कराकर वित्त विभाग को तत्काल उपलब्ध कराना होगा।

13– यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई नगर पंचायत/नगर पालिका का गठन हो गया हो अथवा किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में सम्मिलित ग्राम पंचायतों को पुनः ग्राम पंचायत में परिवर्तित कर दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत अथवा नगर पंचायत अथवा अन्य नगर निकायों को (जैसी भी स्थिति हो) अवमुक्त धनराशि का हस्तान्तरण शासन के पत्र सं0–822/XXVII(1)/2014 दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 एवं शासनादेश सं0–1344/XXVII(1)/ 2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित निकाय को किया जायेगा, जिसकी सूचना सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

14– 15वें वित्त आयोग की धनराशि से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर **"15वॉं वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य"**, निर्माण कार्य का वर्ष एवं योजना की लागत इंगित की जायेगी।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्यक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा :–

(धनराशि हजार में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	आवंटित की जा रही धनराशि
1–	3604–स्थानीय निकाय तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–08–जिला पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0)–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।	198000
2–	3604–स्थानीय निकाय तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–10–क्षेत्र पंचायत हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0)–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।	132000
3–	3604–स्थानीय निकाय तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–12–ग्राम पंचायत हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0)–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।	987700
	योग	**1317700**

(₹एक सौ इक्तीस करोड़ सतहत्तर लाख मात्र)

संलग्नक:– *यथोपरि।*

भवदीय,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 19-01-2023 16:17:38
(दिलीप जावलकर)
सचिव, वित्त।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 19/01/2023 05:12 PM

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3- सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
4- निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, ब्लाक 11,पंचम तल सी०जी०ओ० कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
5- निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6- निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8- समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी–उत्तराखण्ड।
9- समस्त अपर मुख्य अधिकारी / जिला पंचायतीराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
11- निजी सचिव, मा० पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड।
12- एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।

(दिलीप जावलकर)
सचिव, वित्त।

4

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 19/01/2023 05:12 PM

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अवमुक्त की जा रही आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की प्रथम किश्त की धनराशि का जिला पंचायतवार विवरण।

(₹हजार में)

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	*2*	*3*
1	अल्मोड़ा	16238
2	बागेश्वर	9660
3	चमोली	16036
4	चम्पावत	6994
5	देहरादून	16088
6	हरिद्वार	29905
7	नैनीताल	10872
8	पौड़ी गढ़वाल	17851
9	पिथौरागढ़	14499
10	रूद्रप्रयाग	8114
11	टिहरी गढ़वाल	16702
12	उधमसिंह नगर	24553
13	उत्तरकाशी	10488
	योग	**198000**

(₹उन्नीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 19-01-2023 16:16:59
(दिलीप जावलकर)
सचिव, वित्त।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 19/01/2023 05:05 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Panchayati Raj(2283)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी-H23010070555

अनुदान संख्या-007

आवंटन पत्र दिनांक-19-JAN-2023

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
	08-जिला पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोगों से प्राप्त निष्पादन अनुदान	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	8

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	191250000	198000000	191250000	389250000
योग	191250000	198000000	191250000	389250000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.19,80,00,000 (Rupees Nineteen Crores Eighty Lacs Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2301:0009

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

K.K. Pandey
Section Officer
Finance Section-I
Govt. of Uttarakhand

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अवमुक्त की जा रही आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की प्रथम किश्त की धनराशि का क्षेत्र पंचायतवार विवरण।

(₹ हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1–अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	1246
	2	ताकुला	1101
	3	धौलादेवी	1525
	4	भैंसियाछाना	839
	5	हवलबाग	1503
	6	लमगड़ा	1339
	7	द्वाराहाट	1430
	8	सल्ट	1293
	9	भिक्यिासैण	768
	10	ताड़ीखेत	1310
	11	चौखुटियाँ	1122
		योगः–	**13476**
2–बागेश्वर	1	कपकोट	2287
	2	गरूड़	1541
	3	बागेश्वर	2013
		योगः–	**5841**
3–चमोली	1	कर्णप्रयाग	1237
	2	जोशीमठ	3184
	3	दशोली	1179
	4	घाट	1196
	5	पोखरी	1070
	6	गैरसैण	1503
	7	थराली	994
	8	देवाल	976
	9	नारायणबगड़	1097
		योगः–	**12436**
4–चम्पावत	1	लोहाघाट	940
	2	बाराकोट	877
	3	पाटी	1350
	4	चम्पावत	1892
		योगः–	**5059**
5–देहरादून	1	डोईवाला	1666
	2	रायपुर	498
	3	सहसपुर	1934
	4	विकासनगर	2396
	5	चकराता	1249
	6	कालसी	1089
		योगः–	**8832**
6–हरिद्वार	1	भगवानपुर	3073
	2	खानपुर	860

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 19/01/2023 05:04 PM

(₹ हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	*2*	*3*	*4*
	3	रूड़की	2431
	4	नारसन	3043
	5	लक्सर	2506
	6	बहादराबाद	4554
		योगः–	**16467**
7–नैनीताल	1	ओखलकाण्ड़ा	987
	2	भीमताल	747
	3	बेतालघाट	699
	4	हल्द्वानी	1468
	5	रामनगर	1381
	6	रामगढ़	865
	7	कोटाबाग	1021
	8	धारी	533
		योगः–	**7701**
8–पौड़ी गढ़वाल	1	बीरोंखाल	1113
	2	द्वारीखाल	824
	3	दुगड्डा	511
	4	एकेश्वर	620
	5	जयहरीखाल	581
	6	कल्जीखाल	801
	7	खिर्सू	755
	8	कोट	890
	9	नैनीडांडा	906
	10	रिखणीखाल	811
	11	थलीसैण	1316
	12	यमकेश्वर	1054
	13	पौड़ी	858
	14	पाबो	969
	15	पोखड़ा	782
		योगः–	**12791**
9–पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	1740
	2	मुनाकोट	1442
	3	कनालीछीना	1418
	4	धारचूला	1571
	5	पिथौरागढ़	1533
	6	डीडीहाट	1240
	7	मुनस्यारी	1661
	8	बेरीनाग	1347
		योगः–	**11952**
10–रूद्रप्रयाग	1	अगस्त्यमुनी	2176
	2	जखोली	1697
	3	ऊखीमठ	1290
		योगः–	**5163**
11–टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्र नगर	1042

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 19/01/2023 05:04 PM

(₹ हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	*2*	*3*	*4*
	2	कीर्तिनगर	1180
	3	चम्बा	1016
	4	देवप्रयाग	1064
	5	भिलंगना	1950
	6	थौलधार	1107
	7	जौनपुर	1435
	8	प्रतापनगर	1293
	9	जाखणीधार	1153
		योगः–	**11240**
12–ऊधम सिंह नगर	1	खटीमा	2578
	2	सितारगंज	2648
	3	रूद्रपुर	1606
	4	गदरपुर	1941
	5	बाजपुर	2041
	6	काशीपुर	1243
	7	जसपुर	1852
		योगः–	**13909**
13–उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	1350
	2	डुण्डा	1292
	3	चिन्यालीसौड़	1054
	4	नौगाँव	1479
	5	पुरोला	795
	6	मोरी	1163
			7133
		योगः–	**132000**

(₹ तेरह करोड़ बीस लाख मात्र)

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 19-01-2023 16:16:18
(दिलीप जावलकर)
सचिव, वित्त।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 19/01/2023 05:04 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Panchayati Raj(2283)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H23010070556

आवंटन पत्र दिनांक-19-JAN-2023

लेखा शीर्षक

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन — 00--

200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट — 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

10-क्षेत्र पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त निष्पादन अनुदान — Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	1	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	127500000	132000000	127500000	259500000
योग	127500000	132000000	127500000	259500000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.13,20,00,000 (Rupees Thirteen Crores Twenty Lacs Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2301:0010

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

K.K. Pandey
Section Officer
Finance Section-I
Govt. of Uttarakhand

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अवमुक्त की जा रही आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की प्रथम किश्त की धनराशि का क्षेत्र पंचायतवार विवरण।

(₹हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1–अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	94	10013
	2	ताकुला	88	9153
	3	धौलादेवी	110	12370
	4	भैंसियाछाना	53	5560
	5	हवलबाग	125	13416
	6	लमगड़ा	100	10811
	7	द्वाराहाट	119	12631
	8	सल्ट	137	11887
	9	भिक्यिासैण	99	7880
	10	ताड़ीखेत	129	11486
	11	चौखुटियाँ	95	9728
		योगः–	**1149**	**114935**
2–बागेश्वर	1	कपकौट	119	16878
	2	गरूड़	101	12619
	3	बागेश्वर	182	20877
		योगः–	**402**	**50374**
3–चमोली	1	कर्णप्रयाग	94	10623
	2	जोशीमठ	58	8513
	3	दशोली	63	7846
	4	घाट	55	7588
	5	पोखरी	72	8147
	6	गैरसैण	95	11874
	7	थराली	48	5975
	8	देवाल	44	5379
	9	नारायणबगड़	78	8906
		योग–	**607**	**74851**
4–चम्पावत	1	लोहाघाट	66	6708
	2	बाराकोट	48	5372
	3	पाटी	85	9928
	4	चम्पावत	113	13738
		योग–	**312**	**35746**
5–देहरादून	1	डोईवाला	36	11116
	2	रायपुर	35	3454
	3	सहसपुर	50	12671
	4	विकासनगर	53	15371
	5	चकराता	116	10447
	6	कालसी	111	9613
		योग–	**401**	**62672**
6–हरिद्वार	1	भगवानपुर	53	20398

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 19/01/2023 05:08 PM

I/92537/2023
I/92537/2023

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
	2	खानपुर	23	5690
	3	रूड़की	43	16499
	4	नारसन	58	20450
	5	लक्सर	49	15646
	6	बहादराबाद	70	30299
		योग–	**296**	**108982**
7–नैनीताल	1	ओखलकाण्डा	75	7365
	2	भीमताल	60	5793
	3	बेतालघाट	75	5643
	4	हल्द्वानी	60	10049
	5	रामनगर	53	9169
	6	रामगढ़	59	6083
	7	कोटाबाग	56	7244
	8	धारी	41	3953
		योग–	**479**	**55299**
8–पौड़ी गढ़वाल	1	बीरोंखाल	97	9557
	2	द्वारीखाल	97	7179
	3	दुग्गड्डा	67	4670
	4	एकेश्वर	81	6415
	5	जयहरीखाल	73	5219
	6	कल्जीखाल	87	7232
	7	खिर्सू	50	5046
	8	कोट	69	6999
	9	नैनीडांडा	88	7627
	10	रिखणीखाल	81	6838
	11	थलीसैण	103	10716
	12	यमकेश्वर	86	8239
	13	पौड़ी	63	6300
	14	पाबो	72	7275
	15	पोखड़ा	58	5811
		योग–	**1172**	**105123**
9–पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	117	14604
	2	मुनाकोट	76	10292
	3	कनालीछीना	92	11232
	4	धारचूला	62	10434
	5	पिथौरागढ़ (विण)	85	11477
	6	डीडीहाट	71	8800
	7	मुनस्यारी	99	13115
	8	बेरीनाग	84	10097
		योग–	**686**	**90051**
10–रूद्रप्रयाग	1	अगस्त्यमुनी	159	19986
	2	जखोली	108	13862
	3	ऊखीमठ	69	8970

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 19/01/2023 05:08 PM

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु आबद्ध अनुदान (Tied Grant) की प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
		योग–	**336**	**42818**
11–टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्र नगर	118	8795
	2	कीर्तिनगर	97	10088
	3	चम्बा	104	8916
	4	देवप्रयाग	104	8876
	5	भिलंगना	182	19138
	6	थौलधार	93	9270
	7	जौनपुर	146	12625
	8	प्रतापनगर	98	10765
	9	जाखणीधार	92	9723
		योग–	**1034**	**98196**
12–ऊधम सिंह नगर	1	खटीमा	64	16683
	2	सितारगंज	74	17443
	3	रूद्रपुर	42	10501
	4	गदरपुर	52	13045
	5	बाजपुर	58	13617
	6	काशींपुर	33	8316
	7	जसपुर	52	12462
		योग–	**375**	**92067**
13–उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	84	10520
	2	डुण्डा	100	10947
	3	चिन्यालीसैण	81	8467
	4	नौगाँव	131	13588
	5	पुरोला	43	4795
	6	मोरी	68	8269
		योग–	**507**	**56586**
		महायोग :–	**7756**	**987700**

(₹अट्ठानब्बे करोड़ सतहत्तर लाख मात्र)

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 19-01-2023 16:15:38
(दिलीप जावलकर)
सचिव, वित्त।

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 19/01/2023 05:08 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

Secretary-Secretary, Finance(S013)

HOD-Director Panchayat Raj(2283)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या -007

आवंटन आई डी-S23010070022

आवंटन पत्र दिनांक-19-JAN-2023

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
	12-ग्राम पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त निष्पादन अनुदान (3604021980104 से स्थानांतरित)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	1	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	918447000	987700000	0	1906147000
योग	918447000	987700000	0	1906147000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.98,77,00,000 (Rupees Ninety Eight Crores Seventy Seven Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

K.K. Pandey
Section Officer
Finance Section-1
Govt. of Uttarakhand